भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,
'नारकोटिक्स हाऊस' राजस्व कालोनी के पास,
नीमच (म.प्र.) 458441

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Finance, Department of Revenue
Central Bureau of Narcotics
O/o the Deputy Narcotics Commissioner,
"Narcotics House", Near Rajaswa Colony,
Neemuch (M.P.) 458 441

EPABX-07423-223030 e-mail : dnc-neemuch@cbn.nic.in

फा.सं. I(22)02/Weighment/Tent & Light/2025- दिनांक : 7.02.2025

:: निविदा सूचना ::

मध्य–प्रदेश इकाई में अफीम फसल वर्ष 2024–25 के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों पर शामियाना, कनात एवं बिजली के सामान आदि किराए पर सप्लाई हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है–

1 सभी केन्द्रों पर अफीम तौल कार्य माह मार्च, 2025 के अंतिम सप्ताह अथवा अप्रेल, 2025 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होने की संभावना है, जो की लगभग 20 दिनों तक चलेगा। गरोठ एवं जावरा का तौल कार्य लगभग 10 दिन तक चलेगा।

2 इच्छुक फर्म अपनी मुहरबंद निविदाओं के लिफाफे दिनांक 17.02.2025 दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में प्रस्तुत कर सकते है। दिनांक 17.02.2025 दोपहर 12:00 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

3 इच्छुक फर्म को अपनी निविदाएं दो प्रकार की प्रणालियों में जमा करनी होगी, जो की निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक– I और II) में (i) तकनीकी बोली और (ii) वित्तीय बोली है।

4 तकनीकी बोलियों (Technical Bids) को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच की मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 17.02.2025 को दोपहर 15:00 बजे खोला जाएगा और केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां, जो की तकनीकी बोलियों में योग्य है, दिनांक 17.02.2025 को दोपहर 15:30 बजे कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त "नारकोटिक्स हाउस" राजस्व कॉलोनी, नीमच (म.प्र.) में खोली जाएंगी।

5 न्यूनतम दरों (सभी करों सहित) वाले एक ही सफल निविदादाता को एक तौल केन्द्र के लिये कार्यादेश जारी किया जायेगा। न्यूनतम दरें, एक से अधिक समान होने की स्थिति में, जीएसटी पंजीकरण वाले निविदादाता को प्राथमिकता दी जावेगी।

6 जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की प्रति, यदि हो तो लगावें।

7 प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक तौल केन्द्र हेतु अलग–अलग निविदाएं प्रस्तुत करनी होगी।

8 तौल कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के संबंध में प्रत्येक जिला अफीम अधिकारी कार्यालय से प्राप्त अलग–अलग मांग–पत्र निविदा सूचना के साथ संलग्न की गई है। निविदादाता द्वारा प्रत्येक तौल केन्द्र के मांग–पत्र अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली अलग–अलग निविदाओं के साथ अनुलग्नक–IV में **प्रत्येक सामग्री हेतु प्रतिदिन के आधार पर किराये की दर प्रदान करना अनिवार्य है।**

नियम एवं शर्ते

1. उपरोक्त सामान की आपूर्ति संबंधित जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के विभिन्न तौल केन्द्रों पर करनी होगी। समस्त सामान को तौल प्रारंभ होने वाले केन्द्र पर पहुँचाने तथा तौल समाप्ति वाले दिन केन्द्र से वापस उठाने की जिम्मेदारी स्वयं फर्म की होगी।

3 निविदादाता को प्रत्येक तौल केन्द्र पर कार्य करने हेतु संबंधित जिला अफीम अधिकारी कार्यालय के मांग–पत्र अनुसार ही दो अलग–अलग मोहरबंद लिफाफों में अपनी निविदा देनी होगी। जिसमें पहले लिफाफे पर "**अफीम तौल कार्य हेतु टेण्ट एवं लाईट की निविदा तौल केन्द्र................................. हेतु तकनीकी बोली**" एवं दूसरे लिफाफे पर "**अफीम तौल कार्य हेतु टेण्ट एवं लाईट की निविदा तौल केन्द्र...... .... हेतु वित्तीय बोली**" लिखा हो।

4. निविदादाताओं को प्रति निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रू. 25,000/– (रूपये दस हजार) मात्र का बैक ड्राफ्ट जो "आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच" के नाम पर देय हो, **वित्तीय बोली** वाले लिफाफे के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा एवं **धरोहर राशि के ड्राफ्ट की एक प्रतिलिपि (copy) तकनीकी बोली वाले लिफाफे के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।**

5. यदि निविदादाता बोली में चयन होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य करने के लिये मना करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जावेगी एवं कार्यादेश दूसरी सबसे कम दर वाले निविदादाता को प्रदान कर दिया जावेगा, जिसके बारे में पुनः विचार नही किया जावेगा।

6. निविदादाता का बोली में चयन होने के बाद बोली 1 वर्ष के लिये मान्य होगी जिससे विभाग अन्य अवसरो पर भी निविदादाता से बोली दरो पर कार्य करवा सकता है। अगर निविदादाता कार्य करने के लिये मना करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
7. प्रत्येक तौल केन्द्र पर जनरेटर चलाने व अन्य सामान के रखरखाव के लिए फर्म का एक व्यक्ति हमेशा केन्द्र पर रहेगा जिसका कोई व्यय विभाग द्वारा नहीं दिया जायेगा।
8. सभी सामान प्रत्येक जिला अफीम अधिकारी कार्यालय की आवश्यकतानुसार नया/सही हालत में प्रदाय करना होगा। सामान की टूट–फूट व खोने की जिम्मेदारी स्वयं फर्म की होगी। इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार/क्लेम मान्य नहीं होगा।
9. इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में 10:00 बजे से 17:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में श्री निरंजन गुरु, अधीक्षक से फोन नं. 07423–297792 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
10. फर्म द्वारा सप्लाई किया गया सामान व उसकी देखभाल संतोषजनक नहीं होने पर फर्म का भुगतान रोका जा सकता है, अथवा बिल की राशि से 25 प्रतिशत तक कटौती की जा सकती है। यदि कोई सामान पुराना व खराब पाया जाता है तो जिला अफीम अधिकारी अन्य फर्मो से सामान मंगवा सकते हैं, जिसका भुगतान निविदादाता के भुगतान से काटा जायेगा।
11. निविदादाता दर देते समय कृपया ध्यान रखें कि इन सामानों के साथ उपयोग में आने वाले आवश्यक सामान यथा बॉक्स, रस्सी, बांस बेरीकेट्स अथवा बिजली के तार, प्लग बोर्ड, एम.सी.बी., पैनल बोर्ड आदि शामिल है। इसके लिए अलग से कोई चार्ज विभाग द्वारा देय नहीं है।
12. शामियाना एवं अन्य सामान की क्वालिटी उत्तम होनी चाहिए। यदि शामियाना, दरियाँ, कारपेट तथा अन्य सामानों की क्वालिटी खराब अथवा निम्न स्तर की पाई गई तो बिल की राशि में कटौती की जायेगी।
13. श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये एक या सभी निविदा को निरस्त कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा। सर्वाधिकार श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच के पास सुरक्षित रहेगा।
14. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही नीमच न्यायालय के अधीन होगी।
15. केवल वही फर्म निविदाएँ प्रस्तुत करें जो आयकर रिटर्न भरती है एवं FY 2023-24 (AY 2024-25) की आयकर रिर्टन (ITR) प्रति निविदा के साथ संलग्न करें।

अधीक्षक (कार्यपालक)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री एस.के. वर्मा, अधीक्षक (Online), कार्यालय नारकोटिक्स आयुक्त, 19, माल रोड़, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) –474006 को निविदा की सूचना विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।

2. श्रीमान जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय, गरोठ खण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके कार्य क्षेत्र में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मो को सूचित करें। (केवल ईमेल द्वारा)

अधीक्षक (कार्यपालक)

निरंजन गुरु
अधीक्षक (कार्यपालक)

अनुलग्नक–I

तकनीकि बोली (Technical Bid)

(केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की म.प्र. इकाई में फसल वर्ष 2024–25 के तौल केन्द्र..पर टेण्ट एवं लाईट सामग्री किराये पर देने के लिए)

1	टेंडरिंग कंपनी का नाम (कंपनी के संक्षिप्त प्रोफाइल के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
2	कंपनी के प्रोप्राइटर/निदेशक का नाम	
3	टेलीफोन नंबर फैक्स और ई–मेल के साथ पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता	
4	ऑपरेटिंग/शाखा कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नंबर फैक्स और ई–मेल के साथ	
5	FY 2023-24 (AY 2024-25) की आयकर रिर्टन (ITR) प्रति संलग्न करें।	
6	वस्तु एंव सेवा कर (GST) पंजीकरण संख्या (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) यदि हो तो।	
7	शपथ पत्र – यह बताते हुए कि कंपनी को पिछले तीन वर्षो में केन्द्र/राज्य सरकार/पीएसयू द्वारा न तो ब्लैकलिस्ट किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न करें) और न ही किसी भी सरकारी विभागों के साथ कोई मुकदमेबाजी लंबित है। (रु. 100 के स्टाम्प पर)	
8	धोखाधडी और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में घोषणापत्र (निविदा दस्तावेज में दिये गए एनेक्सर–III में विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित)	
9	निविदा दस्तावेज निष्पादित करने के लिए फर्म द्वारा किसी व्यक्ति का प्राधिकरण पत्र (authorisation letter)	

तारीख –

स्थान –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील

अनुलग्नक–II

वित्तीय बोली (Financial Bid)

(केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की म.प्र. इकाई में फसल वर्ष 2024–25 के तौल केन्द्र...पर टेण्ट एवं लाईट सामग्री किराये पर देने के लिए)

1	बोलीदाता फर्म का नाम	
2	पता (टेलिफोन नम्बर एवं फैक्स नम्बर के साथ	
3	प्रोप्राईटर / निदेशक / भागीदार का नाम व पता (मोबाईल नम्बर सहित)	
4	अनुलग्नक–IV का कुल योग **(अनुलग्नक–IV भरकर वितीय बोली के साथ भी संलग्न करें)**	
5	जी.एस.टी. (यदि हो तो)	
	कुल राशि (उपरोक्त 4+5)	

तारीख –

स्थान – अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील

धोखाधडी और भ्रष्ट आचार के बारे में घोषणा

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में, मैं/हम न तो किसी अनुबंध के अनुपालन में असमर्थ रहा/रहे हैं और न ही मैं/हम पर किसी मध्यस्थ अथवा न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही किसी भी परियोजना या अनुबंध के मेरे/हमारे भाग पर उल्लंघन के सम्बन्ध में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से निष्कासित किया गया है।

(क) मैं/हम किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी प्रतिनिधि एजेन्ट के माध्यम से किसी भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधडी, बलपूर्वक, अवांछनीय कृत्य या प्रतिबंधकारक कार्य में लिप्त नहीं हैं जो कि किसी भी निविदा या प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या किसी भी सरकार, केंद्रीय या राज्य के साथ दर्ज किए गए प्रस्ताव या किसी समझौते के संबंध में हो; तथा

(ख) मैने/हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि मेरी/हमारी तरफ से कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत कार्रवाई नहीं करेगा या किसी भी भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधडी, बलपूर्वक, अवांछनीय कृत्य या प्रतिबंधात्मक कार्य में लिप्त नहीं रहेगा।

मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि हम या हमारे किसी भी एसोसिएटस को किसी न्यायालय (Court of Law) द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है या न ही किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया गया है या प्रतिकूल आदेश दिये गए हैं, जो अनुबन्ध (Project) को शुरू करने के लिए हमारी क्षमता पर संदेह करता है या जो एक गंभीर अपराध से संबंधित होता है जो समाज की नैतिकता को प्रभावित करता हो।

मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि देश की सुरक्षा और अखंडता से संबंधित मामलों के संबंध में, सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा हम पर न ही कोई आरोप पत्र जारी किया गया है अथवा विधि न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।

मैं/हम आगे यह भी प्रमाणित करते हैं कि नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authority) द्वारा कोई जांच हमारे या हमारे सीईओ या हमारे निदेशकों/प्रबंधकों/कर्मचारियों के खिलाफ लंबित नहीं है।

तारीख –

स्थान – अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील

अनुलग्नक–IV

(केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की म.प्र. इकाई में फसल वर्ष 2024–25 के तौल केन्द्र............................पर टेण्ट एवं लाईट सामग्री किराये पर देने के लिए फर्म द्वारा प्रतिनग/प्रतिदिन के आधार पर प्रस्तुत दरें)

क्र.सं.	संबंधित जिला अफीम अधिकारी के मांग पत्र अनुसार प्रदाय की जाने वाली सामग्री का नाम	प्रतिदिन प्रदाय किये जाने वाले नगों की संख्या	दर प्रतिनग/प्रतिदिन	कुल किराया प्रतिदिन
1.				
2.				
3.				
			कुल योग :	

तारीख –

स्थान –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील

			कार्यालय जिला अफीम अधिकारी								
			नीमच प्रथम	नीमच द्वितीय	नीमच तृतीय	मंदसौर प्रथम	मंदसौर द्वितीय	मंदसौर तृतीय	जावरा प्रथम	जावरा द्वितीय	गरोठ
	तौल सेंटर का नाम		नीमच	सिंगोली	मनासा	मंदसौर	मंदसौर एवं पिप्लिया मंडी	सीतामऊ	जावरा	जावरा	गरोठ
क्र.सं.	टेन्ट संबंधी सामग्री की आवश्यक मात्रा										
1	टेन्ट (18x18) या (15x15) (Normal)		40	60	30	65	0	85	40	50	60
2	टेन्ट (18x18) या (15x15 (Waterproof)		30	24	50	65	65	35	0	0	6
3	कनात (9x6)		50	60	100	65	65	70	40	50	60
4	दरी (8x10)		10	25	60	65	65	50	40	50	50
5	टेबल (2.5x4)		30	35	60	40	35	50	40	40	30
6	कुर्सी		25	80	0	125	150	80	60	70	100
7	कुर्सी हेण्डल वाली		0	0	100	0	0	0	0	0	0
8	मेटिंग (50x5)		40	60	80	65	65	75	40	50	40
9	तखत (4x6)		2	0	10	0	8	0	2	2	10
10	ड्रम (200 Ltr.)		5	5	8	2	6	20	5	5	6
11	पर्दे		50	40	60	35	50	30	20	30	30
12	टेबल कवर		30	45	60	40	40	50	40	40	30
13	गादी		40	120	20	25	20	0	25	30	70
14	गादी तकिया सहित		0	0	0	0	0	45	0	0	0
15	चादर		40	100	20	25	20	45	25	30	70
16	लोहे की चारपाई (4X6)		0	30	10	0	10	30	15	20	25
17	प्लास्टिक त्रिपाल (15X15)		0	0	0	0	0	30	0	0	0
18	आयरन पाईप बेरीकेट्स (फुट में)		100	0	0	0	400	0	0	0	0

			कार्यालय जिला अफीम अधिकारी								
			नीमच प्रथम	नीमच द्वितीय	नीमच तृतीय	मंदसौर प्रथम	मंदसौर द्वितीय	मंदसौर तृतीय	जावरा प्रथम	जावरा द्वितीय	गरोठ
	तौल सेंटर का नाम		नीमच	सिंगोली	मनासा	मंदसौर	मंदसौर एवं पिपलिया मंडी	सीतामऊ	जावरा	जावरा	गरोठ
क्र.सं.	विद्युत संबंधी सामग्री की आवश्यक मात्रा										
1	जनरेटर (डीजल सहित) 7.5 के.वी.		2	0	2	2	0	0	2	2	2
2	जनरेटर (डीजल सहित) 10 के.वी.		0	0	0	0	2	3	0	0	0
3	जनरेटर (डीजल सहित) 30 के.वी.		0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	ट्यूब लाईट (40 वाट)		20	40	0	40	35	40	0	0	50
5	एल. ई.डी. हैलोजन 40 वाट		0	0	100	0	0	0	0	0	0
6	एल. ई.डी. हैलोजन 100 वाट		0	0	30	0	0	25	0	0	0
7	हैलोजन (500 वाट)		10	30	0	25	0	0	10	10	15
8	एल.ई.डी. बल्ब 20 वाट		0	0	0	0	0	20	0	0	0
9	बल्ब (100 वाट)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	मेगाफोन		2	1	1	1	1	1	1	1	0
11	Padestal Fan		6	40	30	0	30	30	20	20	20
12	Cooler Desert		0	45	20	0	25	30	15	20	15
13	जम्बो कूलर		10	9	10	20	10	7	5	0	6
14	इन्वर्टर/बैट्री सहित		0	0	0		0	0	0	0	0
15	सी.एफ.एल. लेम्प 45 वाट		20	40	0	20	35	30	35	35	50
16	सी.एफ.एल. लेम्प 20 वाट		0	0	0	0	20	0	0	0	0
17	एल. ई.डी. लाईट		0	0	0	0	15	0	0	0	0
18	पावर एक्सटेंशन बोर्ड 5 पिन		0	0	0	0	10	0	0	0	0
19	पावर एक्सटेंशन बोर्ड 3 पिन		15	40	10	10	10	20	5	5	30
20	पावर एक्सटेंशन बोर्ड 2 पिन		10	10	10	10	0	0	5	5	0